दिनांक 12 एवं 15–जुलाई, 2019 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 2767/110/तीन/97–VII दिनांक 09–07–2019, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 12 व 15–जुलाई,2019 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों एवं सामुदायिक आयोजकों (सी0ओ0) के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओं– प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

सर्वप्रथम समीक्षा बैठक में अभिकरण मुख्यालय की अनुमति प्राप्त किये बिना परियोजना अधिकारी, डूडा–मेरठ एवं जौनपुर के बैठक में अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं सम्बन्धित का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास–

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवासों की गहन समीक्षा की गयी। समीक्षा में जिन 10 जनपदों की प्रगति सबसे खराब पायी गयी, उनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र.सं.	जनपद का नाम	लक्ष्य	पूर्ण/रूफ कास्टेड आवास	लम्बित
1	फिरोजाबाद	22482	8295	14187
2	बुलन्दशहर	17768	5388	12380
3	मिर्जापुर	17412	6120	11292
4	गोरखपुर	21075	10202	10873
5	अलीगढ़	14913	4151	10762
6	बिजनौर	15742	5173	10569
7	आगरा	16491	5945	10546
8	कुशीनगर	13543	3985	9558
9	भदोही	12268	2776	9492
10	वाराणसी	13429	4020	9409

उपरोक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे 15 दिन में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष–डूडा)

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रथम लेविल/द्वितीय लेविल एवं तृतीय लेविल जियोटैग प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गयी जिसमें निम्न लिखित जनपदों की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी तथा उनको एक सप्ताह में सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित परि0अधिकारी,डूडा/सी0एल0टी0सी0)

क्र.सं.	जनपद का नाम	लम्बित जियोटैग–प्रथम लेविल	जनपद का नाम	लम्बित जियोटैग–द्वितीय लेविल	जनपद का नाम	लम्बित जियोटैग–तृतीय लेविल
1	फिरोजाबाद	19245	मिर्जापुर	12903	फिरोजाबाद	9567
2	बुलन्दशहर	18607	वराणसी	10745	गोरखपुर	7620
3	गोरखपुर	17600	फिरोजाबाद	10734	गजियाबाद	5560
4	बिजनौर	15237	गोरखपुर	9922	बदायूँ	5453
5	आगरा	14295	अलीगढ़	9030	आगरा	5197

क्र.सं.	जनपद का नाम	लम्बित जियोटैग–प्रथम लेविल	जनपद का नाम	लम्बित जियोटैग–द्वितीय लेविल	जनपद का नाम	लम्बित जियोटैग–तृतीय लेविल
6	सहारनपुर	14228	आगरा	8262	लखनऊ	5125
7	बलिया	14128	बिजनौर	8084	बिजनौर	4299
8	सीतापुर	13851	कुशीनगर	7766	बुलन्दशहर	4128
9	मेरठ	13848	रामपुर	7677	झांसी	3534
10	उन्नाव	13752	बुलन्दशहर	7377	अलीगढ़	3263

उक्त के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश भी दिये गये–

1. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत आवासों को दिनांक 31.07.2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों एवं डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 को निर्देश दिये गये कि BLC(New) के अन्तर्गत माह–जुलाई,2019 के अन्तिम सप्ताह में संभावित सी.एस.एम.सी. बैठक में स्वीकृति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक दशा में दि0 20.07.2019 तक नई डी0पी0आर0 तैयार कर सूडा मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–संबंधित परियोजना अधिकारी–डूडा)**
3. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो ने जनपद स्तर से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक मुख्यालय को प्रेषित नही किये है वे तीन दिवस में शेष उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत जो भुगतान Payment By Higher Agency के माध्यम से किया गया है उसका प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए 03 दिवस में मूल–प्रति मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सप्ताह के अन्त में यू0सी0/प्रमाण–पत्र मुख्यालय को प्रेषित किये जायें।
(कार्यवाही–संबंधित परियोजना अधिकारी–डूडा/लेखानुभाग,सूडा)
4. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों में जियोटैग की संख्या एवं अन्तरित धनराशि के लाभार्थियों की संख्या में अधिक अन्तर है वे एक सप्ताह में पात्र/अपात्र लाभार्थियों की जांच कराते हुये धनराशि अन्तरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जियोटैग के पूर्व पात्र/अपात्र की जांच अवश्य करा ली जाए। **(कार्यवाही–संबंधित परियोजना अधिकारी–डूडा)**
5. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रथम लेविल जियोटैग प्रत्येक दशा में 15 दिन में पूर्ण किया जाए।
6. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ऐसे जनपद जहॉ आवासों की प्रगति खराब है एवं स्थानीय स्तर पर संस्था का कार्य संतोषजनक नही है वहॉ मुख्यालय से टीम गठित कर सम्बन्धित जनपदों में भेज कर जॉच करा कर समस्याओं का निराकरण किया जाये।
7. समीक्षा बैठक में जनपद–बागपत, मैनपुरी, गौतमबुद्धनगर के सी0एल0टी0सी0 को एक सप्ताह में कार्य में सुधार लाने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
8. जनपद–औरैया में योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति न होने के दृष्टिगत मुख्यालय से एक टीम भेजकर जांच करा कर समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये।
9. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कार्यरत सभी कर्मचारी/अधिकारी बिना पहचान पत्र (I.Card) के फील्ड में न जायें।
10. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 कन्सलटेंट सम्बन्धित जनपदों में परियोजना अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त स्टाफ लगायें ताकि लक्ष्यों की पूर्ति ससमय की जा सके।
11. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि यदि उनके जनपद में चयनित कार्यदायी संस्था ठीक प्रकार से कार्य नही कर पा रही है तो उसे जिलाधिकारी की अनुमति से तत्काल हटाकर अन्य संस्था का चयन किया जा सकता है जिससे कि योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति लायी जा सके।

12. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का निरन्तर अनुश्रवण मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये।
13. योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
14. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों, कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग की प्रगति का दैनिक/साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
15. स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैग हो चुके आवासों के मॉडरेशन का कार्य सी0एल0टी0सी0 /सी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा।
16. सभी परियेाजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिकता के आधार पर जहॉ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है वहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि एवं जहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है वहॉ तृतीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही एक सप्ताह में सुनिश्चित करें।
17. प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)अवार्ड–2019 हेतु चयनित जनपदों के परियेाजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने जनपद में निर्मित आवासों के एच0डी0 फोटोग्राफ, व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कन्वर्जेन्स का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
18. समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि जिन परियोजना अधिकारियों ने अभी तक एच0डी0 फोटोग्राफ्स अभिकरण मुख्यालय को नहीं उपलब्ध कराये हैं वे अपने जनपद में निर्मित अच्छे/उच्च गुणवत्ता पूर्ण आवासों की एच0डी0 फोटोग्राफ्स तैयार कराकर साफ्ट् एवं हार्ड कॉपी में अभिकरण मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत समीक्षा में पाया गया कि विगत दो माहों में स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रगति अत्यन्त धीमी रही है। 62 शहरों की अद्यतन प्रगति शून्य पायी गयी, जिसमें मुख्य रुप से बड़े शहरों में अलीगढ़, कानपुर नगर, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहॉपुर, सीतापुर, दादरी (गौतमबुद्ध नगर), बुलन्दशहर, हमीरपुर, गाजीपुर, हापुड़, हरदोई, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, मऊ, प्रतापगढ़, बहराइच, बाराबंकी, हरदोई, जौनपुर, भदोही, देवरिया, रायबरेली, सन्तकबीर नगर आदि सम्मिलित है। एस0एच0जी0 गठन की प्रगति शून्य पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा इस घटक पर इस समय विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा इस घटक के सभी उपघटकों के लक्ष्य दोगुने कर दिये गये है। जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी शहर प्राथमिकता के आधार पर तेजी से कार्य करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।

गठित स्वयं सहायता समूहों को धनराशि उपलब्धता के उपरान्त भी 09 जनपदों (औरैया, बदायूँ, जालौन, लखनऊ, मिर्जापुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी एवं फर्रुखाबाद) को छोड़कर किसी भी जनपद/शहर द्वारा रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नहीं किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रगति पर निरन्तर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मिशन के आरम्भ से गठित सभी स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड निर्गत किये जाने के निर्देश दिये जा रहे है। विगत दिनांक 17.06.2019 को भारत सरकार में आयोजित बैठक में उक्त आशय के पुनः निर्देश दिये गये है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अद्यतन गाजियाबाद एवं जालौन में ए0एल0एफ0 का गठन किया गया है, शेष किसी भी शहर द्वारा अद्यतन ए0एल0एफ0 का गठन नहीं किया गया है। गाजियाबाद एवं बागपत को छोड़कर किसी भी शहर/जनपद को छोड़कर ए0एल0एफ0 को रिवॉल्विंग फण्ड भी किसी शहर/जनपद द्वारा अवमुक्त नहीं किया गया है। सी0एल0एफ0 गठन एवं पंजीकरण गठन की प्रगति अत्यन्त धीमी है। उक्त के साथ ही घटक के अन्तर्गत किसी भी गतिविधि की प्रगति सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के साथ एस0एच0जी0 गठन, ए0एल0एफ0, सी0एल0सी0 गठन, एस0एच0जी0 प्रशिक्षण आदि का कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिये गये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों (CLC) की प्रगति में पाया गया कि अधिकांश सी0एल0सी0 की प्रगति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से संचालित सी0एल0सी0 को अब तक आत्म निर्भर हो जाना चाहिए था परन्तु CLC का संचालन गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में किये जाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए सी0एल0सी0 को बेहतर ढ़ंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 द्वारा समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत कर उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 को Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाये। GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु तकनीकी सहायता सी0एम0एम0यू0 आगरा, लखनऊ एवं कानपुर से ली जा सकती है।

बैठक में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये है कि शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा फरवरी, 2019 के अन्तर्गत समन्वय के माध्यम से विभिन्न सरकार योजनाओं से लाभान्वित किये जाने से वंचित रह गये स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को तेजी से समन्वय के आधार पर लाभान्वित कराया जाये तथा गठित एंव गठित किये जनो वाले सभी स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से नियमित आधार पर लाभान्वित कराया जाना है। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रगति पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु व्यवस्था की जा रही है। उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वच्छता एक्सीलेन्स अवार्ड हेतु नामांकन मांगे जायेगे, जिसके संबंध में निर्देश दिये गये कि सभी शहर पूरी तैयारी अग्रिम आधार पर करलें ताकि पयाप्त संख्या में प्रदेश सरकार की तरफ से आवार्ड हेतु नामांकन किया जा सके।

अवगत कराया गया कि संयुक्त सचिव, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि **जल संचयन** के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु स्वयं सहायता समूहों की सहायता ली जाये। शहरों में स्वयं सहायता के माध्यम से विभिन्न स्तर पर बैठक, रैली, वृक्षारोपण आदि का आयोजन कराया जाये तथा प्रत्येक गतिविधियों के आयोजन का अभिलेखीकरण एवं उच्चकोटि के फोटोग्राफ भी लिये जाये तथा सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

इस प्रकार माह जुलाई, 2019 तक प्रथम त्रैमास के सापेक्ष उपरोक्तानुसार शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

SUH-

1. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत सूडा द्वारा निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त तृतीय किश्त के सापेक्ष अधिकांश शहरों से अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सी0एण्ड डी0एस0 से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रत्येक दशा में जुलाई, 2019 के अन्तिम सप्ताह तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
2. प्रकरण में विगत दिनांक 13.11.2018 एवं दिनांक 05.12.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शहर में रह रहे सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। जिसके दृष्टिगत शहर में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के अनुसार भूमि चिन्हित कर के शेल्टर निर्माण की DPR स्वीकृत हेतु भेजे जाने के निरन्तर निर्देश दिये जा रहे है। परन्तु प्राप्त सूचना के आधार पर अद्यतन वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण बड़े शहरों से भूमि चिन्हीकरण की सूचना अप्राप्त है जबकि कानपुर नगर, मुरादाबाद एवं बरेली में कतिपय भूमि चिन्हित की गयी है परन्तु थर्ड पार्टी के सर्वे के अनुक्रम में अपेक्षित संख्या में भूमि चिन्हित नहीं हो पायी है। जिसके दृष्टिगत बड़े शहरों एवं महानगरों के साथ ही साथ जिन नगरीय निकायों में 25 एवं एससे अधिक संख्या में शहरी बेघर थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये है, में तत्काल भूमि का चिन्हीकरण कर सी0एण्ड0डी0एस0 के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। अद्यतन अधिकांश शहरों द्वारा अपेक्षित संख्या में भूमि चिन्हीकरण की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रकरण की सघन समीक्षा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 113 नये/उच्चीकरण शेल्टर होम निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष प्रगति अत्यन्त धीमी है। 50 व्यक्तियों हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि तथा 100 व्यक्तियों हेतु 800 वर्ग मीटर भूमि चिन्हीकरण गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है। सभी जनपद/शहरों को थर्ड पार्टी

सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक दशा में भूमि चिन्हीकरण कराकर जुलाई, 2019 में भूमि आवंटन के अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

3. शेल्टर होम निर्माण हेतु पूर्व में ललितपुर, औरैया, किरतपुर (बिजनौर), मिर्जापुर–विन्ध्याचल में भूमि विवाद के दृष्टिगत परियोजना पर अभी तक विवाद निस्तारित न होने/वैकल्पिक भूमि का चिन्हीकरण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल विवाद निस्तारित कराने/वैकल्पिक भूमि का चिन्हीकरण कराने के निर्देश दिये गये।
4. सूडा मुख्यालय से शेल्टर होम निर्माण हेतु आजमगढ़, अमरोहा, जौनपुर एवं वाराणसी को अवमुक्त धनराशि अद्यतन सी0एण्ड0डी0एस0 को अवमुक्त न किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये कि तत्काल धनराशि सी0एण्डडी0एस0 को अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायें।
5. शेल्टर होम संचालन हेतु सूडा द्वारा मार्च, 2019 में अवमुक्त धनराशि अधिकांश शेल्टर होम संचालक संस्थाओं को अद्यतन अवमुक्त न कराये जाने की शिकायत एस0एल0एम0सी0 बैठक में प्राप्त होने के संबंध में अवगत कराया कि मा0 समिति द्वारा इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी है तथा निर्देश दिये गये है कि अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया जाये, जिसके दृष्टिगत इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 2686 दिनांक 05.07.2019 के द्वारा अद्यतन सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिस पर दिनांक 10.07.2019 तक सूचना उपलब्ध कराना था। परन्तु उक्त सूचना अद्यतन अप्राप्त है। उक्त संबंध में निर्देश दिये गये कि आगामी 05 दिवसों में प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायी।
6. संचालित शेल्टर होम में आक्यूपेंसी बहुत कम होने की रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं, जिसके दृष्टिगत सप्ताह में न्यूनतम 4 बार रात्रि में मोबिलाइजेशन अभियान का संचालन कर ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता पर बल देते हुए निर्देशित किया गया कि नियमित रुप से रात्रि में मोबिलाइजेशन अभियान चलाकर शहरी बेघरों को शेल्टर होम में लाया जाये।
7. वर्तमान बरसात ऋतु के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि सभी परियोजना अधिकारी एवं शहर मिशन प्रबन्धक स्वयं निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर होम का भ्रमण कर सुचारु रुप से देख लें, कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित शेल्टर होम में उपलब्ध करायी गयी सेवायें/सुविधायें सुचारु रुप से कार्य कर रही है, शौचालय, स्नान घर, पानी की व्यवस्था, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, अग्निशमन उपकरण, सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की जॉच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। शेल्टर होम में निर्माण कार्य के संबंध में यह भी निर्देश दिया गया कि डी0पी0आर में किये गये प्राविधान के अनुसार किये गये कार्यों का मिलान किया जाये। यदि किसी शहर के पास डी0पी0आर0 उपलब्ध न हो तो वह सी0एण्ड0डी0एस0 अथवा सूडा मुख्यालय से ले सकता है। सी0एण्ड0डी0एस0 के परियोजना प्रबन्धकों के साथ जुलाई के अन्तिम सप्ताह में एक बैठक प्रस्तावित है जिसके दृष्टिगत निर्देश दिये गये कि सभी शहर उपरोक्तानुसार शेल्टर होम का भ्रमण कर अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल GoI के MIS पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपलोड किया जाये। MIS पोर्टल पर DAY-NULM एवं Non DAY-NULM के सभी संचालित शेल्टर होम की प्रोफाइल तत्काल अपलोड कर दी जाये तथा स्क्रीन शॉट एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाये।
9. शहर में संचालित सभी प्रकार के शेल्टर होम में रुकने वाले बेघरों की प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रारुप पर 12 बजे अपराहन तक सूडा उ0प्र0 को suhnulmup@gmail.com पर प्रत्येक दशा में रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा निर्देश दिये गये कि दैनिक रुकने वाले व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराये गये google drive पर अपलोड की जाये।

EST&P-

वित्तीय वर्ष 2015–16 में किये गये प्रशिक्षण के सेवायोजन एवं ट्रैकिंग के संबंध में:–

प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट किये गये सभी लाभार्थियों का सेवायोजन एवं सुचारू रूप से ट्रैकिंग करने के संबंध में नियमानुसार प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अनिवार्य रुप से अपलोड किये जाये एवं संबंधित प्रपत्र की हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2015–16 मे किये गये प्रशिक्षण के सापेक्ष द्वितीय किश्त माह नवम्बर, 2018 में जारी की गयी धनराशि को कई शहरों द्वारा अभी तक नियमानुसार व्यय नहीं किया गया है। शहरों को निर्देशित किया जाता है शीघ्र ही नियमानुसार धनराशि का उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

असेसिंग बॉडीस को भुगतान के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रशिक्षार्थियों के किये गये असेसमेन्ट के सापेक्ष असेसिंग बॉडीस का कई शहरों में भुगतान किया जाना लम्बित है जिसके संबंध में भारत सरकार स्तर पर हुयी समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही लम्बित असेसमेन्ट भुगतानों को जारी किया जाय। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–614/241/NULM /तीन/2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक 11.05.2018 द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित भुगतानों को नियमानुसार शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। उल्लेखनीय है कि शहरों को EST&P के अन्तर्गत जारी की गयी धनराशि में ही असेसमेन्ट लागत सम्मिलित है। अतः उक्त प्रकरण की गम्भीरता को संज्ञान में लेते हुए शहर यथा शाहजहॉपुर, दादरी, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, मैनपुरी, मेरठ, बलिया, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूँ, गाजीपुर, अलीगढ़, मऊ, बरेली, आगरा, बलरामपुर, एटा, महोबा, रामपुर, मथुरा, चित्रकूट, फैजाबाद, वाराणसी एवं सहारनपुर द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित समस्त भुगतानों को यथाशीघ्र अवमुक्त किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष कौशल प्रशिक्षण की द्वितीय एवं तृतीय किश्तों के भुगतान हेतु एन0एस0डी0सी0 द्वारा संबंधित शहरों को भुगतान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। अभिकरण के पत्रांक–3624/241/NULM/Teen/2001(NSDC) दिनांक 24.09.2018 द्वारा उक्त के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणः–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों में प्रारम्भ कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिन बैचों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है उनको तत्काल रुप से एम0आई0एस0 पर उन बैचों को क्लोस किया जाये और प्रशिक्षार्थियों की असेसमेनट प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। संबंधित एन0एस0डी0सी0 पार्टनर द्वारा संबंधित सेक्टर के सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) से सम्पर्क करते हुए असेसमेन्ट प्रक्रिया की जानी है। एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं हेतु 10.08.2018 को प्रथम 30 प्रतिशत किश्त के भुगतान हेतु संबंधित शहरों को धनराशि जारी की जा चुकी है। शहर यथा चित्रकूट, इटावा, फैजाबाद एवं हरदोई को निर्देशित है कि नियमानुसार एन0एस0डी0सी0 पार्टनर को प्रथम किश्त अवमुक्त करें ताकि एसेसमेन्ट प्रक्रिया प्रारम्भ हो ताकि प्रशिक्षार्थियों को सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षार्थियों के असेसमेन्ट के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की असेसमेन्ट प्रक्रिया में भारत सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार ई0एस0टी0पी0 एम0आई0एस0 पर सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रुप से बैच क्लोज किये जाये। तत्पश्चात् बैच असेसमेन्ट हेतु स्किल इण्डिया पोर्टल पर माइग्रेट हो जायेगा। सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण समाप्त हुए बैचों को एम0आई0एस0 पर बन्द करायें। भारत सरकार द्वारा भविष्य में जारी किये जाने वाले असेसमेन्ट दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही की जायेगी।

EST&P घटक के अन्तर्गत शहरों में उपलब्ध धनराशि के उपयोग के संबंध में:–

EST&P घटक के अन्तर्गत निम्नानुसार शहरों को भुगतान किया गया है:–

- पत्रांक–2695 दिनांक 10.08.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 34 शहरों में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं के द्वारा किये गये प्रशिक्षण के सापेक्ष प्रथम 30 प्रतिशत एवं यूनिफार्म की धनराशि प्रेषित की गयी।
- पत्रांक–7461 दिनांक 28.11.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में शहरों में निविदा के माध्यम से चयनित संस्थाओं द्वारा किये गये प्रशिक्षण के सापेक्ष द्वितीय 50 प्रतिशत की धनराशि प्रेषित की गयी।
- पत्रांक–11622 दिनांक 08.03.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्तरीय निविदा के माध्यम से चयनित संस्थाओं के द्वारा शहरों में किये गये प्रशिक्षण के सापेक्ष प्रथम 30 प्रतिशत एवं यूनिफार्म की धनराशि प्रेषित की गयी।

शहरों को प्रेषित की गयी उपरोक्त धनराशि के सापेक्ष शहरों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार यथा अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, मऊ, अमरोहा, औरैया, बदायूँ, बागपत, बांदा, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, इटावा, फिरोजाबाद, दादरी, गाजियाबाद, लोनी, हापुड़, हाथरस, झांसी, कासगंज, ललितपुर, मथुरा, मेरठ, मुज्जफरनगर, सम्भल, चन्दौसी, शाहजहॉपुर, शामली, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, मुगलसराय, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर, लखीमपुर, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर एवं सुल्तानपुर में उक्त घटक में धनराशि उपलब्ध है। उक्त शहरों को निर्देशित

किया जाता है कि घटक के अन्तर्गत नियमानुसार 15 दिवसों में धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करें अन्यथा मुख्यालय को धनराशि वापस उपलब्ध करायें ताकि अन्य मांग वाले शहरों को धनराशि उपलब्ध करायी जा सके।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन स्तर पर की जाती है और शासन स्तर पर उक्त कार्यों की अति धीमी प्रगति पर निरन्तर असन्तोष व्यक्त किया जा रहा है। शहरवार अद्यतन प्रगति निम्नवत है:--

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**सहारनपुर**	25	**8124**	4124	2000	1000	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को पूर्ण प्रपत्र अप्राप्त • 162 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 52.34 लाख की परियोजना स्वीकृत एवं 16.08.18 को धनराशि अवमुक्त, विवाद के कारण कार्य अनारम्भ, अन्य परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
2	**झांसी**	5	**7638**	885	–	166	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
3	**मेरठ**	30	**18250**	810	575	–	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • 100 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 22.22 लाख की परियोजना स्वीकृत एवं 16.08.18 को धनराशि अवमुक्त, कार्य अभी तक प्रारम्भ नही हुआ
4	**वाराणसी**	29	**24472**	350	350	350	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • 100 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 26.84 लाख की परियोजना स्वीकृत एवं 16.08.18 को धनराशि अवमुक्त, कार्य प्रारम्भ प्रगति में, द्वितीय किश्त का प्रस्ताव अप्राप्त

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	फिरोजाबाद	15	**9500**	1268	1268	1264	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
6	लखनऊ	266	**25609**	10000	--	--	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • 378 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 186.87 लाख की परियोजना स्वीकृत, द्वितीय किश्त जारी, कार्य प्रारम्भ प्रगति में, दो अन्य परियोजनायें मुख्यालय को प्राप्त
7	कानपुर	132	**14494**	10480	189	542	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की 01 परियोजना मुख्यालय को प्राप्त
8	अलीगढ़	30	**5470**	1877	80	530	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
9	गोरखपुर	244	**7888**	7888	--	70	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
10	प्रयागराज	25	**13800**	13800	42	42	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • 42 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 19.38 लाख की परियोजना स्वीकृत, 08.03.19 को धनराशि अवमुक्त परन्तु कार्य अनारम्भ
11	गाजियाबाद	4	**23262**	16000	7000	7000	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	मुरादाबाद	15	**8750**	938	659	659	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
13	आगरा	18	**20067**	4449	2435	2220	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • 76 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 40.33 लाख की परियोजना स्वीकृत, 08.03.19 को धनराशि अवमुक्त परन्तु कार्य अनारम्भ
14	बरेली	24	**6410**	1178	909	664	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
15	अयोध्या	25	**2605**	2605	10	10	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
16	मथुरावृदांवन	5	**6668**	–	–	–	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
17	शाहजहांपुर	12	**2447**	1040	500	500	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्राप्त • 84 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 18.03 लाख की परियोजना स्वीकृत, 08.03.19 को धनराशि अवमुक्त परन्तु कार्य अनारम्भ • मॉडल वेडिंग जोन की 01 परियोजना मुख्यालय को प्राप्त
18	मुजफ्फरनगर	25	**1497**	1497	–	–	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							मुख्यालय को अप्राप्त
19	मऊ	15	**2398**	480	225	225	• ड्राफ्ट शहरी पथ बिक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
20	लोनी	4	**6468**	2101	1748	1748	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
21	बुलन्दशहर	10	**1385**	1331	400	200	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
22	हापुड़	17	**4489**	307	307	307	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
23	उन्नाव	8	**2804**	1586	1095	1313	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
24	मिर्जापुर	21	**2657**	900	322	500	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
25	हरदोई	19	**2707**	68	68	68	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
26	फतेहपुर	11	**1853**	--	--	--	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त • विवाद निवारण कमेटी का गठन नही हुआ है
27	उरई	7	**2179**	1489	1469	1469	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्राप्त

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							• मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
28	अमरोहा	4	**4553**	200	200	200	• एजेन्सी को भुगतान नही प्राप्त होने के कारण शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार होने में विलम्ब • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
29	जौनपुर	1	**2382**	225	–	–	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
30	सम्भल	9	**950**	--	--	--	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
31	मैनपुरी	5	**658**	658	302	302	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण प्रगति में
32	हाथरस	2	**678**	–	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
33	रामपुर	22	**1568**	–	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
34	शामली	4	**412**	172	--	172	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण प्रगति में
35	चंदौसी	5	**576**	557	557	557	TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त
36	बडौत	12	**439**	--	–	–	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
37	खुर्जा	4	**409**	409	250	250	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण प्रगति में
38	मोदीनगर	-	**1750**	1750	--	--	विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
39	शिकोहाबाद	9	**1322**	282	–	–	विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
40	एटा	8	**870**	--	–	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
41	कासगंज	4	**821**	225	225	225	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण प्रगति में

अतः उक्त अत्यनत धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुए शहरी पथ विक्रेता प्लान, शहरी पथ विक्रेताओं के पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं आई कार्ड जारी किये जाने हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विक्रेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज एवं शाहजाहॅपुर हेतु स्वीकृत विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) के सापेक्ष लखनऊ एवं वाराणसी में कार्य प्रगति में है, लखनऊ द्वारा द्वितीय किश्त प्राप्त की जा चुकी है परन्तु वाराणसी द्वारा द्वितीय किश्त का प्रस्ताव अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस पर वाराणसी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही द्वितीय किश्त का प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

अगस्त, 2018 में मेरठ को जारी प्रथम किश्त के सापेक्ष मेरठ द्वारा अभी भी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है, जिसपर सख्त निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

मार्च, 2019 में आगरा, प्रयागराज एवं शाहजहॉपुर को जारी प्रथम किश्त के सापेक्ष कार्य नहीं प्रारम्भ होने के दृष्टिगत उक्त शहरों को निर्देशित किया गया कि यथा शीघ्र धनराशि कार्यदायी संस्था (संबंधित नागर निकाय) को उपलब्ध कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 10 शहरों यथा देवरिया, मुगलसराय, बस्ती, सुलतानपुर, बहराइच, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर) में सर्वे प्रारम्भ हो गया है। सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही सर्वे पूर्ण कराकर शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, विक्रय प्रमाण पत्र एवं आई0कार्ड वितरण प्रारम्भ किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में चयनित 30 शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने के संबंध में:–

09 शहरों बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर हेतु दिनांक 19.06.2019 के कार्यवृत्त के द्वारा एजेन्सी का चयन कर कार्यवृत्त शहरों को मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उक्त शहरों से अपेक्षा है कि यथाशीघ्र कार्यादेश एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कर सर्वे का कार्य प्रारम्भ करायें।

अन्य 11 शहरों यथा देवबन्द (सहारनपुर), कैराना (शामली), बिजनौर, नगीना (बिजनौर), नजीबाबाद (बिजनौर), दादरी (जी0बी0 नगर), मुरादनगर (गाजियाबाद), औरैया, महोबा, टाण्डा (अम्बेडकरनगर), भदोही हेतु एजेन्सी के चयन के लिए ई–टेण्डर के माध्यम से राज्य स्तरीय निविदा प्रकाशित की गई है।

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में:–

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1134/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 05.06. 2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, इस निर्देश के अनुसार ही शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने की समस्त कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण की जाये। शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है जिसके संबंध में शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। अतः एस0यू0एस0वी0 के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेता हेतु किये जा रहे कार्यों वाले सभी 30 शहरों को निर्देशित

किया जाता है कि प्रत्येक दशा में सभी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी कराया जाना एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

<u>पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में किये जाने वाल कार्यः–</u>

शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार नियम–4 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, नियम–5 के अनुसार पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति, नियम–10 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना, नियम–6(थ) के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना, नियम– 25(1) के अनुसार पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान हेतु विवाद निवारण समिति का गठन, नियम–15 के अनुसार विक्रय परिक्षेत्रों (वेडिंग/नो वेडिंग जोन) का चिन्हांकन, नियम–12 के अनुसार पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, नियम–13 के अनुसार पथ विक्रेताओं का पंजीकरण (प्रपत्र–2), नियम–14 के अुनसार पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3), नियम–22 के अनुसार पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी करना (सूडा के पत्रांक–1134/241/NULM/Teen /2001(SUSV-CSVP) दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र में संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारुप पर) एवं नियम–6(छ) के अनुसार पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना आदि कार्य किये जाने है।

एस0यू0एस0वी0 घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में चयनित 30 शहरों (लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या–फैजाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, सम्भल, जौनपुर) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 30 अन्य शहर यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, मुगलसराय (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुलतानपुर एवं देवीरया में उपरोक्त समस्त कार्यों को नियमावली 2017 के अनुरुप किया जाना है।

उपरोक्त सभी 60 शहरों में शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार उपरोक्त सभी कार्य किये जाने है जिसके संबंध में सी0एम0एम0यू0–डूडा द्वारा संबंधित नगर निकाय से समन्वय करते हुए उपरोक्त सभी कार्यों को नियमावली के अनुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विक्रेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार कर रही एजेन्सियों को भुगतान हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र के साथ शहरी पथ विक्रेताओं की सूची (आधार एवं मोबाइल नं0 सहित) प्रस्तुत की जाये।

<u>SEP-I, SEP-G & SHG- Bank Linkages</u> – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I & G) एवं स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के अन्तर्गत निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में अवशेष त्रैमासिक लक्ष्य तथा माह जुलाई का लक्ष्य सम्मिलित करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति 31 जुलाई, 2019 तक कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नगरीय निकायों को आवंटित वार्षिक लक्ष्य में से कम से कम 25 प्रतिशत लक्ष्य शहरी पथ विक्रेताओं हेतु एवं 25 प्रतिशत लक्ष्य कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के

माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों हेतु आरक्षित करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। निदेशक महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी नगरीय निकाय का लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि शून्य पाये जाने पर सम्बन्धित शहर मिशन प्रबन्धक एवं सामुदायिक आयोजक की आबद्धता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि नगरीय निकायों में मुख्यालय (एस0यू0एल0एम0) से एम0आई0एस0 विशेषज्ञ द्वारा उपलब्ध कराये गये जंक डाटा (निष्प्रयोज्य विवरण) का भली भांति परीक्षण करके उपयुक्त पाये गये डाटा का पूर्ण विवरण पूरा करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने एवं निष्प्रयोज्य डाटा के सम्मुख, निष्प्रयोज्यता का कारण देते हुए उसे ई–मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।

CB&T– DAY-NULM के घटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये है:–

- जनपद गोरखपुर की सुश्री शोभा कुमारी एवं श्रीमती सपना कौसाधन शहर मिशन प्रबन्धकों द्वारा समीक्षा बैठक में शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यो के विषय में पूछे जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गये बल्कि उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किये जाने के कारण इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका कम्पलीशन सार्टीफिकेट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना–

राजीव आवास योजनान्तर्गत सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि निर्माणकार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना–

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका तत्काल आवंटन सुनिश्चित कराते हुए उनका कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही प्रत्येक सप्ताह में आवासों के आवंटन की सूचना से भी मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में संबन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों को पूर्ण कराने हेतु सूडा द्वारा धनराशि संबन्धित डूडा को अवमुक्त की जा चुकी है परन्तु डूडा द्वारा अभी तक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नहीं करायी गयी है वे एक सप्ताह में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)**

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष एक सप्ताह में टेण्डर

प्रकिया पूर्ण कराते हुये धनराशि शीघ्र व्यय किया जाये तथा उपयोगिता पत्र अभिकरण मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में वित्तीय वर्ष 2017–18 में धनराशि अवमुंक्त की गयी है वे द्वितीय किश्त की प्राप्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

(कार्यवाही–संबंधित परियोजना अधिकारी, डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

परियोजना अधिकारी, डूडा जो कि जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना 30 दिवस के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण जनपद स्तर से जनसूचना अधिकारी के द्वारा समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

3– इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

4– राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

5– निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जनपद में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का विवरण एक पंजिका में कमबद्व तरीके से अभिलेखीय साक्ष्य के निमित्त सूचीबद्व किया जाना अपरिहार्य है। अन्य विभाग की सूचना वांछित होने के दृष्टिगत समयबद्व अन्तरण की प्रकिया बाध्यकारी है। आवदेन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने का कारण दर्शाकर कार्यवाही न किया जाना अनुचित, इस स्थिति में भी आवेदन को भी सूचना उपलब्ध करायी जाय।

6– सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा/राज्य सभा से संबंधित विधायी प्रकरणों तथा संवैधानिक नियमों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर समयान्तर्गत अपने जनपद के जिलाधिकारी/अध्यक्ष अथवा परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)–

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपद – कानपुर नगर, कुशीनगर, बस्ती, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, हरदोई, मुरादाबाद, अयोध्या, जौनपुर के परियोजना अधिकारियों को मुख्यमंत्री सन्दर्भ/जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराते हुये उन्हें तीन दिवस में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री संदर्भ जिलाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाये।

(कार्यवाही–संबंधित परियोजना अधिकारी डूडा/सूडा)

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 3163 /110/तीन/97 Vol-VII दिनांक– 25/07/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

25/7/2019

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक